

910/16-17


आदेश की  
क्रम संख्या  
एवं तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख  
सहित।


04/9/21

अभिलेख उपस्थापित।  
अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार दाउद उरांव पिता सिमोन उरांव को खास  
नोटिस निर्गत करें।  
अभिलेख दिनांक 14/9/21 को उपस्थापित करें।

  
अंचल अधिकारी,  
कुरडेग।


16/11/21

अभिलेख उपस्थापित।  
खास नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। प्रतिवादी न्यायालय में अनुपस्थित। प्रतिवादी को न्यायालय में  
उपस्थिति हेतु नोटिस निर्गत करें।  
अभिलेख दिनांक 26/11/21 को उपस्थापित करें।

  
अंचल अधिकारी,  
कुरडेग।

26/11/21

अभिलेख उपस्थापित।  
प्रतिवादी न्यायालय में अनुपस्थित।  
अभिलेख दिनांक 02/12/21 को उपस्थापित करें।

  
अंचल अधिकारी,  
कुरडेग।

02/12/21

अभिलेख उपस्थापित।  
प्रतिवादी न्यायालय में अनुपस्थित।  
अभिलेख दिनांक 08/12/21 को उपस्थापित करें।

  
अंचल अधिकारी,  
कुरडेग।

08/12/21

अभिलेख उपस्थापित।  
प्रतिवादी न्यायालय में अनुपस्थित।  
अभिलेख दिनांक 20/12/21 को उपस्थापित करें।

  
अंचल अधिकारी,  
कुरडेग।

20/12/21

अभिलेख उपस्थापित।  
अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार दाउद उरांव पिता सिमोन उरांव को खास  
नोटिस निर्गत किया गया था जो संलग्न है। अवैध संदिग्ध जमाबन्दीदार के वंशज  
सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुआ तथा विषयगत भूमि ग्राम बडकीखेडरा खाता संख्या 284/4  
प्लॉट संख्या 573, 3997 रकबा 4.90 ०० का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं  
किया गया।

क्रमशः


राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदन किया है कि पंजी- II में संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार दुर्गा नदी है। बिना सक्षम प्राधिकार का दर्ज पाया गया है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुरोध किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि हाउस उराव ग्राम खड़की बिउरा के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध प्रतीत होता है:-

क्र०सं०	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा
1	2	3	4	5	6
1	खड़की बिउरा	०२	२८५/५	५७३	३.५० रु०
2	- तदैव -	०२	२८५/५	३९९७	१.५० रु०

अतः राजस्व न्यायालय प्रतिवादी की अनुपस्थिति को उनकी नाम से कायम जमाबन्दी को निरस्त करने में मौन सहमति मानते हुए विभागीय पत्रांक- 2074/रा०, दिनांक- 13.05.2016, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 1704/रा०, दिनांक- 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के आधार पर उपरोक्त जमाबन्दी को निरस्त करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सिमडेगा को भेजे।

लेखापित एवं सशोधित

  
अंचल अधिकारी,  
कुरडेगा।

  
अंचल अधिकारी,  
कुरडेगा।